न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01 / 2018
प्रविष्टि दिनांक 30.04.2018

सरकार जरिए प्रर्वतन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
— प्रार्थी

बनाम

मोहम्मद इसहाक ऊर्फ शकील पुत्र मो. इस्माईल छोटे खॉ साईकिल स्टोर पॉच बत्ती चौराहा के पास टोंक
— अप्रार्थी

जब्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस, एक रबर पाईप मय नोजल तथा एक Petromax को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः—

1— पेराकार सरकार —प्रार्थी की ओर से
2— श्री सीताराम विजय, अभिभाषक —अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 11.07.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 13.04.2018 को घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग की जाँच वास्ते संयुक्त जाँच दल,जाँच वास्ते टोंक शहर में पाँच बत्ती चौराहा के पास दुकान छोटे खाँ साईकिल स्टोर पर पहुंचे। मौके पर दुकान में मोहम्मद इस्हाक ऊर्फ शकील पुत्र मो.इस्माईल मौजूद मिले। दुकान के अन्दर जाँच करने पर कुल 6 घरेलू सिलेण्डर रखे होना पाये गये।दूकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से Petromax जो कि क्षमता 3 किलोग्राम एवं 4/5 किलोग्राम के होते है,उनमे गैस tranasfer/रिफिलिंग का कारोबार होता है।मौके पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया । इनमें से एक सिलेण्डर के गैस पाइप मय नोजल लगा हुआ है। श्री शकील से पूछने पर उन्होंने बताया [illegible] नोजल के माध्यम से हम घरेलू सिलेण्डरों में से Petromax में गैस [illegible] का [illegible] करते है । मौके पर दुकान में एक Petromax रखा होना पाया गया जो बैचने [illegible] नहीं होकर पुराना है जो कि गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

tranasfer करने के लिए रखा हुआ है। मौके पर पाये गये 6 सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है ।

क. स.	नाम कंपनी	एस आर न0	Gross Weight	Tear Weight	Net Weight Gas
1.	IOC	312654-S	19.7KG	16.5KG	3.2KG
2.	IOC	222153-T	29.8KG	15.4KG	14.4 KG
3	BPC	120697-B	15.5KG	15.5KG	NIL
4.	BPC	195887-S	30.5KG	16.1KG	14.4KG
5.	BPC	724816-T	29.6KG	15.3KG	14.3KG
6	IOC	33311	31.6 KG	17.1 KG	14.5 KG
				TOTAL	60.8KG

प्रार्थी का उक्त कृत्य गैस का अवैध भण्डारण एवं tranasfer करने हेतु नोजल का सिलेण्डर से जुड़ा होना तथा Petromax का मिलना Lpg Control Order 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः मौके पर उक्त 6 सिलेण्डरों, एक गैस रबर पाईप मय नोजल, एक Petromax को कब्जेराज कर जब्त किया गया। उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि जिला रसद अधिकारी एंव प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थी की दुकान पर रखे हुए 6 गैस सिलेण्डरो को जब्त किया गया है,जबकि उक्त गैस सिलेण्डर प्रार्थी की दुकान पर प्रार्थी के ना होकर रईस मियां जो प्रार्थी का मकान मालिक है तथा कुछ गांववाले रखकर चले गये थे,जिनको सुरक्षा की दृष्टि से प्रार्थी की निगरानी मे रख लिया था। जिला रसद अधिकार एंव प्रवर्तन निरीक्षक ने उक्त सिलेण्डरो को गलत रूप से प्रार्थी के कब्जे मे दिखाकर जब्त किया है,जिनको वापस दिलवाया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 13.04.2018 को घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग की जाँच करने हेतु संयुक्त जाँच दल,जाँच वारते टोंक शहर में पाँच बत्ती चौराहा के पास दुकान छोटे खाँ साईकिल स्टोर पर पहुंचे। श्री शकील की उपस्थिति मे [illegible] यह दुकान मुख्य रूप से साईकिल रिपेयरिंग की है दुकान के अन्दर जाँच [illegible] पर [illegible] 6 घरेलू सिलेण्डर रखे होना पाये गये। गुप्त सूचना प्राप्त हु[illegible] उक्त दुकान [illegible] घरेलू गैस सिलेण्डरों से Petromax जो कि क्षमता 3 किलो[illegible] एवं 4.75 [illegible] के होते है उनमे गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

tranasfer / रिफिलिंग का कारोबार होता है। मौके पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया । इनमें से एक सिलेण्डर के गैस पाइप मय नोजल लगा हुआ है।मौके पर दुकान में एक Petromax रखा होना पाया गया जो बैचने का नहीं होकर पुराना है जो कि गैस tranasfer करने के लिए रखा हुआ है। सिलेण्डरों के संदर्भ में मौके पर उपस्थित मोहम्मद इशहाक ऊर्फ शकील से पूछने पर उनके द्वारा कोई दस्तावेज / साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये तथा भण्डारण के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। प्रार्थी का उक्त कृत्य गैस का अवैध भण्डारण एवं tranasfer करने हेतु नोजल का सिलेण्डर से जुड़ा होना तथा Petromax का मिलना Lpg Control Order 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रार्थी ने उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेटोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3 ख ग,7–1 ग,4–1 क ड, 6 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि जवाब जवाब को ही बहस माना जावे।

अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 13.04.2018 के अनुसार मोहम्मद इसहाक ऊर्फ शकील पुत्र मो. इस्माईल छोटे खॉ साईकिल स्टोर पॉच बत्ती चौराहा के पास टोंक का निरीक्षण करने पर मौके पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डरो 60.08 किलोग्राम एलपीजी गैस पाईप मय नोजल तथा एक Petromax दुकान मे मिले। सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है ।

क्र. स.	नाम कंपनी	एस आर न0	Gross Weight	Tear Weight	Net Weight Gas
1.	IOC	312654-S	19.7KG	16.5KG	3.2KG
2.	IOC	222153-T	29.8KG	15.4KG	14.4 KG
3	BPC	120697-B	15.5KG	15.5KG	NIL
4.	BPC	195887-S	30.5KG	16.1KG	14.4KG
5.	BPC	724816-T	29.6KG	15.3KG	14.3KG
6	IOC	33311	31.6 KG	17.1 KG	14.5 KG
				TOTAL	60.8KG

गुप्त सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त जांच दल द्वारा जांच करने पर पाया गया कि दुकान मुख्य रूप से साईकिल रिपेयरिंग की है।दूकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से Petromax जो कि क्षमता 3 किलोग्राम एवं 4/5 [illegible] tranasfer / रिफिलिंग का कारोबार होता है।मौके पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया।फर्द मौका / जप्ती पर [illegible] खांन,अब्[illegible] खांन तथा नदीम खांन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी जाहिद खांन व मो. इसहाक के हस्ताक्षर है तथा स्वतंत्र गवाह किशोर महावर प्रतिनिधि टोक गैस डिस्ट्रिबुटर्स के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी के 6 गैस सिलेण्डरो को जब्त किया गया है,जबकि उक्त गैस सिलेण्डर प्रार्थी के ना होकर रईस मियां जो प्रार्थी का मकान मालिक है तथा कुछ गांव वाले रखकर चले गये थे,जिनको सुरक्षा की दृष्टि से प्रार्थी ने रख लिया था,परन्तु इस कथन कि तायद मे कोई दस्तावेजात/साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग मे लिये जाने से उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेटोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3 ख ग,7–1 ग,4–1 क ड, 6 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा छ नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 60.08 किलोग्राम एलपीजी,गैस पाईप मय नोजल तथा एक Petromax को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)

जिला कलेक्टर

टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:23 IST
Reason: SelfAttested